789
16/12/12

खण्ड-11 संख्या-23

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(कार्यवाही भाग-2, प्रश्नोत्तररहित)

सत्यमेव जयते

बुधवार

तिथि 4 अगस्त, 1993 ई०

सूचना मुझे टेलीफोन के द्वारा मिल गयी है कि वायरलैस भेज रहे हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, कौन विधायक एरेस्ट हुये हैं एवं किस धारा में गिरफ्तार हुए हैं।

अध्यक्ष : क्रीमनल चार्ज पर हुए हैं। माननीय सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है और इसकी सूचना विधिवत दे दी गयी है। हमसे परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देना अतिआवश्यक है और वह सूचना टेलीफोन से मिल गयी है और कहा गया है कि हम वायरलैस कर रहे हैं।

(व्यवधान)

शान्ति-शान्ति।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएं एवं उन पर सरकारी वक्तव्य

(क) नक्सलवादियों एवं उग्रवादियों पर रोक

श्री राम जतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण पढ़ा जा चुका है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई के कारण जहानाबाद, गया, नवादा, पलामू, गढ़वा एवं चतरा जिलों में नक्सलजनित कांडों में पूर्व वर्षों की तुलना में कमी आई है। उपरोक्त जिलों में वर्ष 1991 में 230, वर्ष 1992 में 200 और जून, 93 तक 99 नक्सलजनित घटनाएं प्रतिवेदन हुई हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इन जिलों में नक्सलजनित घटनाओं में कमी आयी है। जहानाबाद जिले में पुलिस प्रशासन प्रभावकारी ढ़ंग से कार्य कर रही है तथा नक्सली गतिविधियों का दृढ़ता से मुकाबला कर रही है। मई एवं जून, 93 में जहानाबाद जिले में उग्रवादी संगठनों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई एवं उनके द्वारा किसानों पर आक्रमण के कारण सिर्फ चार लोगों के मारे जाने की घटना हुई है। गढ़वा एवं पलामू जिलों में पुलिस प्रशासन पूर्णतः सक्रिय तथा सक्षमतापूर्वक उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। पलामू जिले में 1991-92 में 93 उग्रवादी घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी जबकि जुलाई 92 से जून, 93 तक मात्र 53 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। गढ़वा में भी मई-जून, 93 में पुलिस द्वारा ग्राम कोलडीह तथा परियों में उग्रवादियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में 4 कुख्यात उग्रवादी

मारे गये। इस प्रकार इन क्षेत्रें में स्थिति जिला प्रशासन के बिल्कुल ही नियंत्रण में है। मसौढ़ी अनुमंडल में अभी तक एम. सी. सी. की गतिविधि प्रकाश में नहीं आई है। एम. के. एस. एस., आई. पी. एफ. तथा सी. पी. आई. (एम. एल.) की गतिविधि इन क्षेत्रों में पूर्व से ही थी और उनके हिंसक क्रिया-कलाप में पुलिस कार्रवाई के कारण कमी दृष्टिगोचर हो रही है।

श्री राम जतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि कमी आयी है नक्सलजनित घटनाओं में। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गया जिला में एम. सी. सी. के द्वारा, जहानाबाद में संग्राम समिति के द्वारा पलामू जिला, चतरा एवं गढ़वा जिला में एम.सी.सी. के द्वारा समानान्तर सरकार चलायी जा रही है जैसा कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और उग्रवादी संगठनों ने स्वयं स्वीकार किया है कि मध्य बिहार के 95 प्रतिशत पंचायतों में उनकी समानान्तर सरकार चल रही है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा यह कहा गया कि यह नकारात्मक है। मैंने घटनाओं का जिक्र करते हुए यह दर्शाया है कि इसमें कमी आयी है। अगर कोई व्यक्ति अपने को कमांडर कह दे, आई. जी. कह दे तो यह अलग बात है। लेकिन समांतर सरकार चलाने की बात सत्य से परे है।

श्री रामजतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि अभी एम. सी. सी. के द्वारा उनके न्यायलय में तीन हरिजनों को नाक, कान काटने की सजा की बात समाचार-पत्रों में आयी है। कल ही हजारीबाग में एक व्यक्ति की हत्या हुई है जिसमें हजारीबाग के एस. पी. ने स्वयं कहा है कि वह एरिया कमांडर है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह का एरिया नहीं है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण में जितना जिला दिया हुआ है उसमें एक जिला और ये जोड़ दिए। जहानबाद, गया, नवादा, पलामू एवं चतरा जिला में जो कौगनीजेंस हुआ है, उसका ब्रेक-अप भी है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। 1991 में मर्डर 137 हुआ, 1992 में 120 और 1993

में 42 मर्डर हुआ, यह इस बात को दर्शाता है कि पुलिस की ओर से कारवाई की गयी है और यह बात सत्य नहीं है कि नक्सलियों के मनमाने के कारण प्रशासन बौना है। इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए 52 पुलिस चौकी स्थापित किये गये हैं और पिछले दो माह में दो देशी पिस्तौल और पांच जिन्दा कारतुस, एक देशी रिवाल्वर, दोनाली बंदुक, छः गोली बरामद की गयी है। और पुलिस के कार्रवाई के फलस्वरूप घटनाओं में कमी आयी है।

श्री राम जतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आंतकवाद गतिविधियों पर काबू पाने के लिए आसाम में उल्फा, पंजाब में खालिस्तान कमांडो फोर्स तथा जम्मू-कश्मीर में और आन्ध्र प्रदेश में पिपुल्स बार ग्रुप परं वहां की सरकार ने स्पष्ट नीति और कार्यक्रम अख्तियार किय है, उसी तरह से यहां के उग्रवादी संगठन के समाप्त करने की दिशा में सरकार कोई स्पष्ट नीति तैयार कर स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट आदेश देने की सरकार विचार रखती है।

श्री उपेन्द्र प्रसद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जी हॉ। इसके लिए कारगर योजना भी बनाया गया है और जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि सरकर उसके अनुरूप विचार रखती है।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के नाक-कान काटे गये हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका इंटरभ्यू लेने के लिए न्यूज टेलीग्राफ ....

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में इनका सिगनेचर नहीं है, इसलिए यह नहीं पूछ सकते हैं।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, टाईम्स ऑफ इन्डिया में इस तरह का जो समाचार प्रकाशित हुआ है, उस पर मेरा कर्य-स्थगन प्रस्ताव है।

श्री राम जतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य बिहार में जो स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते वहां पर जनाक्रोश बढ़ रहा है और जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, उन पर दवाब बढ़ते जा रह है। जो वहां के एम. पी. और एम. एल. ए. हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अगर वे प्रशासन पर दबाव नहीं

डालते हैं ते उन्हें इस्तिफा दिलाने के लिए संगठन का रूप अख्तियार किया जा रहा है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : महोदय, हमने एम. सी. सी. पर प्रतिबंध लगाया है। इस पर नियंत्रण के लिये कार्य योजना बनायी गयी है और कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री राजो सिंह : जो सारा रिपोर्ट है और माननीय सदस्य श्री राम जतन सिंहा नें जो कहा अध्यक्ष महोदय, उससे ऐस लगता है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले एम. एल. ए., एम. पी. और एम. एल. सी., उस एरिया के लोगों की जान का खतरा है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए चाहे वे जिस दल के भी हों उन लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करना चाहती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सुरक्षा की जिम्मेवरी पूरी तरह से सरकार पर है।

श्री राजो सिंह : कोई एम. एल. ए. है, कोई एम. पी. है, कोई एम. एल. सी. है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : यह जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार अपने कर्त्तव्य को निभायेगी।

श्री शकुनी चौधरी : जहानाबाद, हजारीबाग, पलामू में समानान्तर सरकार बनाकर एम. सी. सी. के द्वारा, नक्सलवादियों के द्वारा और आंतकवादियों के द्वारा लोगों का नाक-कान काटा गया है। सरकार ने इसको रोकने के लिये अभी तक क्या कार्रवाई की है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। इसके अलावे जिन कारणों से यह होता है उसमें भूमि सुधार, पेयजल की आपूत्ति, आवागमन के साधनों का विकास, शिक्षा की बेहतर सुविधा तथा पुलिस कार्रवाई से उग्रवादी अपना वर्चस्व बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ छिट-पुट घटना हुई है।

(व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी : दलेलचक-बघौरा हत्याकांड के समय भी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अब इस तरह की कोई घटना नहीं होगी।

मगर उसके बाद सैंकड़ों इस तरह की घटनायें होती रही हैं। सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार इरादा रखती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सरकार द्वारा हर तरह की कार्रवाई की जा रही है।

श्री रामजतन सिन्हा : मध्य बिहार में कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। इस पर कैसे काबू पाया जाय इसके लिए एक समिति बनायी जाय। वहां कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई सरकार नहीं है। किसान संग्राम समिति का कहना है कि जहानाबाद और गया के 95 प्रतिशत पंचायतों में हमारी समानान्तर सरकार है। गया, जहानाबाद, चतरा, पलामू में बहुत भयंकर स्थिति है।

(ख) सिंचाई के लिए पलास्टिक पाइप की कथित खरीदारी

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, विभाग द्वारा अभी तक निजी सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत लोहे की पाईपों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि लोहे की पाईपों का मूल्य लगभग हर वर्ष बढ़ता रहा है, अतः विभाग ने इसके साथ वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में वर्ष 1988 में समीक्षा प्रारम्भ की। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व से जी. आई. पाईप प्रयोग होता रहा है। वहां भी सरकार ने एक निर्धारित गहराई तक पी. वी. सी. पाईप प्रयोग करने का निर्णय लिया।

सर्वप्रथम 1988 में लघु सिंचाई विभाग ने इस विषय पर राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय सन्याल समिति मई, 1988 में गठित की तथा सन्यास समिति के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आलोक में 1988 से ही विचार और तद्नुसार कार्रवाई प्रारंभ है। पुनः मुख्यमंत्री के आदेश से विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों की द्वितीय उच्च स्तरीय समिति इस पर विचार करने हेतु दिनांक 14.1.92 को गठित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे: मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के अभियंता प्रमुख, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, सचिव, लघु सिंचाई विभाग, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अभियन्ता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग। इन दोनों समितियों ने निजी सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत 100 फीट (30 मीटर) गहराई तक नलकूप निर्माणार्थ पी. वी.